13. अंक प्रतिशतता गणना की प्रक्रिया

मैरिट निम्न के अनुसार निर्धारित की जाएगी :-

क) प्रवेश के लिए जिन व्यवसायों की शैक्षणिक योग्यता दसवीं है, उन व्यवसायों की मैरिट दसवीं के कुल प्राप्त अंकों से ही निकाली जाएगी तथा जिन व्यवसायों की योग्यता 10+2 (Non Medical) है उन व्यवसायों की मैरिट 10+2 (Non Medical) के कुल प्राप्त अंकों से ही निकाली जाएगी।

ख) CBSE के मैट्रिक प्रमाण पत्र में प्राप्त CGPA x9.5 से मैरिट निकाली जाएगी तथा 10+2 (Non Medical) के CBSE से पास प्रार्थियों की मैरिट लिस्ट CGPA के नियमानुसार बनाई जाएगी।

ग) Open School :- यदि प्राप्त अंकों व अधिकतम अंकों का कुल योग नहीं दिया गया हैतो उतीर्ण हुए उम्मीदवारों के पहले पांच विषयों में प्राप्त कुल अंकों के योग से मैरिट निकाली जाएगी।

घ) शेष अन्य राज्य:- या तो पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र कुल अंकों को दर्शाता हो या उम्मीदवार कुल अंकों वाला प्रमाण पत्र सम्बन्धित पाठशाला से लाये ।

ङ) दसवीं तथा 10+2 (Non Medical) योग्यता वाले व्यवसायों के लिए अलग-अलग मैरिट लिस्ट बनाई जाएगी ।
(उपरोक्त सभी में यदि दो या अधिक उम्मीदवारों की अंक प्रतिशतता (Merit) समान हो तो अधिक आयु के उम्मीदवार को अधिमान दिया जाएगा।)

14. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की शुल्क संरचना

14.1 शुल्कऔर अन्य संस्थागत कोष राशियाँ फ्री सीटों(Subsidised Seats) के लिए:-

(आईटीआई के नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए फीस औरअन्य शुल्क)

चयनित उम्मीदवार को चयनपत्र प्रस्तुत करने की समय पर निर्धारित तारीखों के भीतर सम्बन्धित आई.टी.आई.में निम्नलिखित फीस और अन्य शुल्क जमा करवाने होंगे :-

(i)	**Fee**	
1	Admission Fee (One Time)	200/-
2	Tuition Fee (Per Six Month)	1200/-
(ii)	**Charges**	
1	Certificate Charges (One Time)	100/-
2	Insurance(Every Year)	200/-
(iii)	**Funds**	
1	Institutional Security (Refundable) (One Time)	1000/-
2	Training and Placement Fund (one time)	100/-
3	Identity card fund (One Time)	50/-
4	Student Welfare Fund (Per Six Month)	350/-
5	Development Fund (Building fund, Sports and culture activities fund)(Per Six Month)	250/-
6	Water and Electricity Fund(Per Six Month)	250/-
	Medical Fund (Per Six Month)	100/-
7	Internal Examination Fund (Per Six Month)	100/-
8	Library Fund (Per Six Month)	100/-
9	Computer Education Fund (Per Six Month)	600/-
10	Corpus Fund for student welfare (Per Year)(to be deposited in the Directorate through Institute)	20/-
	Total	4620/-

ध्यान दें:

1. निर्धारित फीस और अन्य निधियां अर्धवार्षिक आधार पर लिए जा रहे हैं।
2.एक समय (one time) फंडों को प्रशिक्षण अवधि में एक बार लिया जा सकता हैं।
3. महिला प्रशिक्षणार्थियों से ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी।
4. 40% या उससे अधिक विकलांग प्रशिक्षणार्थियों से प्रवेश शुल्क एवं ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी।
5. कारपैन्टर और आशुलिपि एवं सेक्रेट्रियल सहायक (हिन्दी) के प्रशिक्षणार्थियों को ट्यूशन, प्रवेश शुल्क, संस्थागत सुरक्षा राशि, इंसोरेंस एवं Corpus Fund को छोड़कर अन्य निधियों में 50% तक की छूट है।
6. फीस, अन्य शुल्क और संस्थागत सुरक्षा राशि (वापसी योग्य) को बिना किसीसूचना के बदला जा सकता है।
7. उपरोक्त संस्थागत सुरक्षा राशि (वापसी योग्य) को केवल प्रशिक्षण के पूरा होने या प्रशिक्षण छोड़ने के बाद एक साल के अन्दर वापस किया जा सकता है। संस्थागत सुरक्षा राशि (वापसी योग्य) से प्रशिक्षणार्थी के खिलाफ किसी भी वसूली / दंड राशि को सम्बंधित प्रधानाचार्य द्वारा काटा जा सकता है। सुरक्षा राशि से अतिरिक्त वसूली योग्य राशि को सम्बंधित प्रशिक्षणार्थी संस्थान छोड़ने से पहले जमा करने के लिए बाध्य है। प्रशिक्षण के पूरा होने या प्रशिक्षण छोड़ने के बाद एक साल के अन्दर यदि संस्थागत सुरक्षा राशि (वापसी योग्य) को वापिस नहीं लिया गया तो इसे विकास कोष में जमा कर दिया जायेगा एवं तदोपरांत वापिस नहीं किया जायेगा।
8. उपरोक्त सभी निधियां (फीस को छोड़ कर) गैर सरकारी निधि है और सम्बंधित प्रधानाचार्य द्वारा संचालित किये जायेंगे, सम्बंधित प्रधानाचार्य संस्थान के छात्र कल्याण समिति की सहमति से एवं छात्र कल्याण निधि के नियमानुसार खर्च कर सकते हैं।
9. चयनित उम्मीदवार को एक बार में एक ही किस्त में सभी शुल्क (Semester-wise) जमा करने हैं।
10 उपरोक्त वर्णित शुल्क एवं निधियां निजी आईटीआई के लिए प्रायोजित उम्मीदवारों के लिए भी लागू है।
11. सभी शुल्क एवं निधियां जमा करने की अंतिम तारीख माह (February/ August) की 10 तारीख है, इसके उपरान्तमाह की 25 तारीख तक 15 रूपये प्रति दिन विलम्बशुल्कलगेगा, 25 तारीख के बाद प्रशिक्षणार्थी का नाम संस्थान के हाजिरी रजिस्टर से काट दिया जायेगा।

12. इन प्रशिक्षणार्थियों (जिनका नाम शुल्क एवं निधियां निर्धारित समय पर जमा न कराने के कारण काटा गया हो) को पुनः प्रवेश निदेशक तकनीकी शिक्षा की अनुमति से दिया जा सकता है।

13. **निदेशालय में जमा करवाई जाने वाली निधियां प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन के भीतर-भीतर निदेशालय में भेजना सुनिश्चित करें।**

14.2 स्वयं-वित्तपोषित सीटों के लिए शुल्क और अन्य संस्थागत कोष राशियाँ :-

(i) For One year /Two year Engineering Trades

Sr. No	Description	Amount (in Rs.)	Remarks
a) Fee			
1	Admission Fee (One Time)	200/-	To be deposited in Govt. Head
b) Funds			
2	Institutional Security(One Time)	1000/-	Refundable upto 1-year after completion of training
3	Training & Placement Fund (One Time)	100/-	To be retained by the T&P Cell
4	Insurance (Every Year)	200/-	For Insurance purpose of trainees
5	Identity Card Fund (One Time)	50/-	For Identity card of trainees

6	Institutional Development Fund (per Six Month)	6500/-	To be retained/Utilized with the consent of Institute management Committee.
7	Computer Fund (per Six month)	650/-	Computer Fee will be used for raw material pertaining to computer, maintenance of old computers, purchase of new computers and engaging computer trainers etc.
8	Corpus Fundfor student welfare (per year)	20/-	to be deposited in the Directorate through Institute
9	Certificate Charges (One Time)	100/-	
	Total	**8820/-**	

For one year Non-Engineering Trades

Sr. No	Description	Amount (in Rs.)	Remarks
a) Fee			
1	Admission Fee (One Time)	200/-	To be deposited in Govt. Head
b) Funds			
2	Institutional Security(One Time)	1000/-	Refundable upto 1-year after completion of training
3	Training & Placement Fund (One Time)	100/-	To be retained by the T&P Cell
4	Insurance (Every Year)	200/-	For Insurance purpose of trainees
5	Identity Card Fund (One Time)	50/-	For I card of trainees
6	Institutional Development Fund (per Six Month)	4825/-	To be retained/Utilized with the consent of Institute management Committee.
7	Computer Fee (Per Six Month)	650/-	Computer Fee will be used for Raw material pertaining to computer, maintenance of old computers, purchase of new computers and engaging computer trainers etc.
8	Corpus Fund for student welfare (per year)	20/-	to be deposited in the Directorate through Institute
9	Certificate Charges (One Time)	100/-	
	Total	**7145/-**	

नोट: -

i. संस्थागत विकास कोष (Institutional Development Fund) संस्थान प्रबंधन समिति की सहमति के साथ प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हित में उपयोग किये जा सकने वाला कोष है। अतः संस्थान प्रबंधन समिति इस कोष का उपयोग स्टेट स्टीयरिंग कमेटी द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों एवं नियमानुसार प्रशिक्षण हित में कर सकती है।